श्रीमान सदस्य (अध्यक्ष) राजस्व मण्डल, इन्दौर बेंच, इन्दौर केम्प, इन्दौर

श्रीमती माया पिता स्व. श्री गंगूलालजी शुक्ला
उम्र - लगभग 64 वर्ष, व्यवसाय -- सेवा निवृत्ति घरेलू महिला
पता -- मकान नंबर 103, विष्णुपुरी कॉलोनी मेन, इन्दौर

--- याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन तर्फे
   कलेक्टर महोदय, इन्दौर
2. मिथिलेशप्रसाद पिता श्री रमेशचन्द्र शुक्ला
   आयु -- लगभग 60 वर्ष, व्यवसाय -- कृषि
   निवासी -- ग्राम सिमरोल तहसील महू, जिला इन्दौर
3. मनमोहन पिता रमेशचन्द्र शुक्ला
   आयु -- मालूम नहीं, व्यवसाय -- मालूम नहीं
   निवासी -- ग्राम सिमरोल तहसील महू, जिला इन्दौर
4. इन्दरसिंह पिता प्रेमसिंह बुंदेला
   भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत
   निवासी -- ग्राम सिमरोल तहसील महू, जिला इन्दौर
5. देवेन्द्र पिता श्री मिथिलेशप्रसाद शुक्ला
   आयु -- लगभग 36 वर्ष, व्यवसाय -- मालूम नहीं
   निवासी -- ग्राम सिमरोल तहसील महू, जिला इन्दौर
6. निरंजन पिता श्री मिथिलेशप्रसाद शुक्ला
   आयु -- लगभग 32 वर्ष, व्यवसाय -- मालूम नहीं
   निवासी -- ग्राम सिमरोल तहसील महू, जिला इन्दौर
7. नागेन्द्र पिता श्री मिथिलेशप्रसाद शुक्ला
   आयु -- लगभग 30 वर्ष, व्यवसाय -- मालूम नही
   निवासी -- ग्राम सिमरोल तहसील महू, जिला इन्दौर

--- प्रत्यर्थीगण

--- 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2268–पीबीआर/14 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–8–2014	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–6–14 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि स्व. मगूलाल के नाम दर्ज भूमियों का नामांतरण अनावेदक कमांक 2, 5, 6 एवं 7 द्वारा आवेदिका को मृत बताकर अपने नाम करा लिया गया । आवेदिका को नामांतरण की जानकारी होने पर उसके द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका जीवित है, परन्तु अनावेदक 2, 5, 6 एवं 7 द्वारा उसे मृत बताकर नामांतरण करा लिया गया है, अतः सर्वे कमांक 617 रकबा 0.107 हेक्टेयर पर उसका नामांतरण किया जाये । प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान उभय पक्ष द्वारा आपस में राजीनामा कर लिया, और राजीनामा के अनुसार सर्वे कमांक 559 में से 1.26 एकड़ भूमि आवेदिका को देने एवं उस पर उसका नामांतरण किए जाने में अनावेदक कमांक 2 लगायत 7 द्वारा सहमति दी गई । तहसीलदार द्वारा उभय पक्ष के मध्य हुए समझौते को स्वीकार करने में तो विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु उक्त समझौता पत्र के अनुसार विनिमय के दस्तावेज को पंजीयन कराने के निर्देश देकर प्रकरण समाप्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि पैतृक संपत्ति में मृतक के वारिसान को उसके हिस्से की	

भूमि दिये जाने को विनिमिय पत्र मान्य नहीं किया जा सकता है, कारण आवेदिका स्व. मगूलाल की पुत्री होकर उसका प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व है, और स्वत्व होने से किसी प्रकार के स्वत्व का अंतरण नहीं हुआ है । अतः तहसीलदार के आदेश का यह अंश कि ''कृषि भूमि के विनिमय के दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के तहत उप पंजीयक कार्यालय अथवा जिला पंजीयक कार्यालय से पंजीबद्ध करवाकर प्रस्तुत करें । उपरोक्तानुसार पंजीबद्ध दस्तावेज प्रस्तुत होने पर पृथक से म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के तहत नामांतरण की कार्यवाही की जा सकेगी । प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से दायरे से कम होकर दा.रि. हो'', निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार को विधिवत नामांतरण की कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है । प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष